



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/268

दिनांक: 01.07.2026

को

PLEXCONCIL/COA के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट की अवधि का विस्तार**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अधिसूचना संख्या 22/2026-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2026 जारी कर अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 2026 में संशोधन किया है। इस अधिसूचना के तहत, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 2021 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में कुछ निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं पर छूट प्रदान की है।

निर्दिष्ट आयातित वस्तुओं के लिए छूट की अवधि अब **15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है।**

निर्दिष्ट श्रेणियों और कम शुल्क दरों वाली वस्तुओं की सूची यहां देखी जा सकती है:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260402111009.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260402111009.pdf)

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दी गई आधिकारिक अधिसूचना देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260701122129.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260701122129.pdf)

यह आपकी जानकारी है।

**साभार**

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल